I/341264/2023

संख्या-42/2023/449/58-2-2023-1714880/2023

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊः दिनांकः 30 जून, 2023**

विषयः **वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त् केन्द्रांश की धनराशि रू0-6561.63 लाख के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि रू0-3467.23 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-23/बजट/2023-24, दिनांक-23.05.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह **कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुदान** सं0-10 लेखाशीर्षक-2401-119-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनांतर्गत अंतर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक-16.05.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 6561.63 लाख में से राजस्व मद के अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि रू0 5200.85 लाख के सापेक्ष संगत राज्यांश रू0 3467.23 लाख (रू0 **चौंतीस करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय** किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. प्रश्नगत योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप F.No.FM-11/53/2021-FME दिनांक 18.11.2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजना के निर्दिष्ट नोडल बैंक में नियमानुसार जमा कराये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स/भारत सरकार के दिशा-निर्देश एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

4. प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का उत्तरदायित्व रहेगा।

.....2/-

http://shasnadesh.up.gov.in

7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

-2इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष (प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना) 2401001198904 :

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	08 कार्यालय व्यय	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
2	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
3	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	18 प्रकाशन	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
4	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
5	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	27 सब्सिडी	32,41,23, 000 रुपये बत्तीस करोड़) इकतालीस लाख तेईस हजार (मात्र
6	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	42 अन्य व्यय	40,00, 000 रुपये चालीस)लाख मात्र (
7	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर / का क्रय	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
8	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	47 कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्स/म्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)

http://shashanadesh.up.gov.in

9	010	2401001198904 प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,64,00, 000 रुपये एक करोड़ चौंसठ) (लाख मात्र
	कुल		**34,67,23, 000** **(रुपये चौंतीस करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार मात्र)**	
महायोग			34,67,23, 000 (रुपये चौंतीस करोड़ सड़सठ लाख तेईस हजार मात्र)	

के नामे डाला जायेगा।

-3यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E--54-1X--24-2023दिनांक 2023-6-19:मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2023/449/58-2-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in